प्राचार्य का कार्यालय नालन्दा मेडिकल कालेज पटना

निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के संयुक्त सचिव,स्वास्थ्य विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक–431(1) दिनांक–14.06.2023 के आलोक में दिनांक–07.07.2023 को आहूत कय समिति के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 में आगामी तीन वर्षो के लिये नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना से नालन्दा मेडिकल कालेज अस्पताल तक ले जाने एवं अस्पताल से कालेज वापस लाने एवं अन्य कार्य हेतु किराये पर दो CNG/Electric (32 सीटो वाली A.C) बस की सेवा हेतु इच्छुक वाहन मालिकों/ट्रेवल्स एजेन्सियों से मुहरबन्द लिफाफे में सील्ड निविदा राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निबंधित डाक /स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्याबधि 10.00 बजे पूर्वाहन से 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। निविदा दो तरह की होगी (क) तकनिकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा।दोनो निविदा अलग–अलग लिफाफे पर सील्ड कर पुनः उसे वडे लिफाफे में सील्ड कर,उस पर किस मद के लिये निविदा दिया जा रहा है, अंकित कर प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना–26 पर भेजना होगा। निविदा टंकित/कम्प्युटराईज होना चाहिए। हस्तलिखित तथा काट–कुट एवं लिप्त लेपन वाले निविदा पर विचार नही किया जायेगा।निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि की अगली तिथि को तकनिकी निविदा कय समिति द्वारा खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।निविदा खुलते समय निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।निविदा की विस्तृत विवरणी कालेज वेवसाईट WWW.NMCHPATNA.ORG से Download किया जा सकता है।

12/7/24

प्राचार्य
नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना।

12-7-24 12/07/24

वित्तीय वर्ष 2024–25 में आगामी तीन वर्षो के लिये नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को नालन्दा मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाने एवं वापस कॉलेज लाने एवं अन्य कार्य हेतु किराये पर दो **C.N.G/Electric** (32 सीटों वाली AC) बस की सेवा हेतु निविदा के नियम एवं शर्ते :–

(क) तकनिकी निविदा :–

1. तकनिकी निविदा के साथ अग्रधन मो0–2,00,000.00 (दो लाख) रू0 मात्र का बैंक ड्राफट , जो प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना के पदनाम से ही,संलग्न करना होगा।
2. तकनिकी निविदा के साथ बस मालिक का आधार कार्ड,पैन कार्ड,अद्यतन आयकर क्लियरेंस पत्र एवं जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. तकनिकी निविदा के साथ सरकारी / गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों / मिशनरी विद्यालयों में कार्य करने का अनुभव तथा कार्य संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. तकनिकी निविदा के साथ निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही रहने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को CA द्वारा निर्गत टर्न ओभर संलग्न करना होगा ।

(ख) वित्तीय निविदा

इसके तहत बस का भाड़ा (चालक + खलासी) का परिश्रमिक सहित मासिक / किलोमीटर स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। किसी भी परिस्थिति में भाड़ा का दर बिहार पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नही होना चाहिए।

निविदा का नियम एवं शर्ते :–

1. बस यथा संभव नया देना होगा। बस तीन वर्ष से अधिक पुरानी नही होना चाहिए।
2. बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के मानदण्ड के अनुसार चालक व खलासी को न्युनतम दैनिक मजदुरी का भुगतान करना होगा तथा EPF,ESI आदि की कटौती नियमानुसार करना होगा।
3. सफलीभूत निविदादाता को कालेज को दी जाने वाली बस का व्यवसायिक पंजीकरण, फिटनेस, बीमा , रोड टैक्स अदायगी एवं प्रदूषण का अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. सफलीभूत निविदादाता को कार्यादेश निर्गत के 15 दिनों के अन्दर बस उपलब्ध कराना होगा तथा इस आशय का इकरारनामा 1000 रू0 के नन–जुडिसियल स्टाम्प पर वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. सफलीभूत निविदादाता को बस चालक का व्यवसायिक ड्राईमिंग लाइसेंस तथा बस चालक एवं खलासी का वायोडाटा,आधार कार्ड एवं चरित्र प्रमाण पत्र (पूलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना होगा।
6. बस का रख–रखाव,परिचालन,मरम्मति,डीजल,मोबिल एवं अन्य सभी प्रकार का खर्चा बस मालिक को स्वंय करना होगा, इसके लिये किसी प्रकार का अलग से राशि देय नही होगा।
7. बस का परिचालन अधोहस्ताक्षरी के आदेशानुसार प्रत्येक दिवस को सुबह–7.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक करना होगा।विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार किसी भी समय बस की सेवा ली जा सकती है।किसी भी दिन बस का परिचालन बन्द करने पर निविदादाता को 5 (पॉच हजार) रू0 मात्र प्रति दिन की दर पर आर्थिक दण्ड दिया जायगा एवं उस दिन का भाड़ा भुगतान नही किया जायगा।
8. सेवा संतोषजनक नही होने पर, बस खराब हो जाने पर , बस मालिक का दायित्व होगा कि वे तुरंत (अधिकतम आधा घंटा के अन्दर) दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगें। अगर वे ऐसा नही करते हैं तो उस दिन के भाड़े का भुगतान नही किया जायगा।